

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
992 / 2024

दायर दिनांक
12.12.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
04.02.2025

1. अमित कुमार पिता प्रहलाद राय ब्राह्मण निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. उर्मिला पुत्री प्रहलाद राय ब्राह्मण निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. पंकज कुमार पिता प्रहलाद राय ब्राह्मण निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सत्यनारायण पिता रामेश्वरलाल ब्राह्मण निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कंचन पत्नी छोगा दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जमना पुत्री छोगा दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. लीला पुत्री छोगा दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सत्यनारायण पुत्र छोगा दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. लक्ष्मण पुत्र नन्दलाल दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. दीपक पुत्र नन्दलाल दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
7. भावना पुत्री नन्दलाल दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
8. चंदा पत्नी नन्दलाल दरोगा, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक गुरलां।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री अरुण दौराश्री।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुरलां, पटवार हल्का— गुरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र—गुरलां, तहसील व जिला— भीलवाडा के आराजी संख्या 1982 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1983 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2047 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2048 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2049 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2050 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2051 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2052 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.5553 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और प्रतिवादी जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 9 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुरलां, पटवार हल्का- गुरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र-गुरलां, तहसील व जिला- भीलवाडा के आराजी संख्या 1982 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1983 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2047 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2048 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2049 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2050 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2051 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2052 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.5553 हैक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(निष्ठा अधिकारी
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा)